अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या–आई0जी0 काइम निर्देश/2014

आशीष गुप्ता,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःमार्च 03 ,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि व्यापारियों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा करना जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का ही मूल दायित्व है। अपराधियों व कानून–व्यवस्था के उल्लंघनकर्ताओं का प्रथम व **"साफ्ट टारगेट"** व्यापारी ही रहता है। अर्थव्यवस्था में व्यापारी की भूमिका रीढ़ की तरह है। उ0प्र0 शासन भी व्यापारियों का पूर्ण सहयोग करते हुए विधिक रूप से व्यापार करने व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

2. यदा–कदा स्थानीय स्तर पर व्यापारियों के साथ चोरी, लूट व डकैती की घटनाएँ हो जाती हैं। पुलिस के ऊपर विश्वास का बना रहना इसी तथ्य पर आधारित है कि जनपदीय पुलिस अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं को समुचित संवेदना से सुनें और उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करायें। कभी–कभी यह संज्ञान में आता है कि सोने/चॉदी का व्यवसाय करने वाले सर्राफा व्यवसायियों/व्यापारियों के ट्रेन, बस व टैक्सियों में यात्रा करने के दौरान पुलिस द्वारा चेकिंग के नाम पर रोका जाता है। सर्राफा व्यासायियों का चोरी/लूट का माल होने का संदेह व्यक्त किया जाता है और कभी–कभी आयकर/व्यापारकर आदि की चोरी का आरोप लगाकर व्यापारियों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किया जाता है। आयकर/व्यापार कर/सीमा शुल्क कर/केन्द्रीय उत्पाद कर आदि की चोरी रोकने एवं उसे पकड़ने का कार्य सम्बन्धित विभागों का है। पुलिस कर्मी किसी विशिष्ट सूचना की प्राप्ति पर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से अपेक्षित कार्यवाही कर सकते हैं। निहित स्वार्थवश अनावश्यक रूप से पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने की कार्यवाही से पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। अतएव इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस कर्मियों द्वारा नितान्त अनुचित है।

3. मैं चाहूँगा कि अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस कर्मियों का समुचित निर्देश जारी करके अवगत करा दें कि जनपदों के व्यापार सभा पदाधिकारियों की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर विधिक कार्यवाही शीघ्र करायें साथ ही व्यापरियों का अनाधिकृत रूप से (बदनियती से) चेकिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न होने पाए।

भवदीय,

(आशीष गुप्ता)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद/रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0.प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

C:\Documents and Settings\Sharmaji\Desktop\Pariptra1.doc